न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– करतारसिंह पूनियॉ आर.ए.एस.

अपील संख्या 2023/69

1. कासमदीन पुत्र हाकमअली जाति मुसलमान/छिम्पा निवासी मलसीसर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ। – अपीलान्ट

बनाम

1. मोसमा बानो पत्नी बरकतअली जाति तेली निवासी मलसीसर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2. मीरा देवी पत्नी रामपत
3. अमरसिंह पुत्र रामपत
4. राजेन्द्र पुत्र रामपत
5. रणजीत पुत्र रामपत
6. दलीप पुत्र रामपत
7. जगदीश पुत्र रामपत
8. कविता पत्नी मन्दरूप
9. एकता पुत्री मन्दरूप
10. पूनम पुत्री मन्दरूप

} जाति जाट निवासीगण मलसीसर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

11. गणपतराम
12. बीरूराम
13. पंकज कुमार

} पिसरान दुलीचन्द जाति ब्राहम्ण निवासीगण मलसीसर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ

14. सन्तरो बानो पत्नी शोकिन खां जाति मुसलमान निवासी मलसीसर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा, जिला हनुमानगढ।

– रेस्पोडैन्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी (राज.) हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अपील अन्तर्गत धारा 225 आरटीएक्ट

विरूद्व आदेश दिनांक 10.02.2023

द्वारा उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर भादरा।

प्रकरण संख्या 21/2021

अनवान मोसमा बानो बनाम कासमदीन आदि

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री मदन मोहन जोशी रेस्पो0 सं0 1

श्री राजेश कौशिक अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 15

निर्णय दिनांक – 20.7.23

1. इस प्रकरण में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के अन्तर्गत एक प्रार्थना–पत्र पेश किया जिसमें अपनी भूमि खसरा सं0 644/1 में आवागमन हेतु अप्रार्थी सं0 1 के खसरा नं. 649/2 चालू रास्ता से पर्वू से पश्चिम 16 फिट चौड़ा व 25 फिट लम्बा रास्ता स्वीकृत करने का अनुतोष मांगा। अप्रार्थी सं0 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई एवं अपीलाधीन निर्णय के द्वारा प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलण्ट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया ना ही अपीलाण्ट अथवा के परिवार के किसी सदस्य को निर्णय पारित करने से पूव कोई नोटिस दिया गया। पत्रावली पर समस्त कार्यवाही पोषिदा तौर से करने हेतु जो 02.06.2021 को नोटिस जारी किया गया है उस पर कटिंग कर पेशी 10.08.2021 हेतु नोटिस जारी किये गये जिस पर भी कटिंग पर कोई हस्ताक्षर नहीं है एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

प्रकरण 02.06.2021 को तो प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत ही नहीं हुआ था तो नोटिस प्रकरण प्रस्तुत होने से पूर्व जारी कैसे हो सकते थे। विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नोटिस पर रिपोर्ट चस्पांदगी से तामील की जानी अंकित है जबकि न्यायालय का कोई आदेश ही नहीं था। विचारण न्यायलय में रिपोर्ट प्रस्तुत हुई उस रिपोर्ट को तैयार करने से पूर्व अपीलाण्ट को किसी किस्म का नोटिस नहीं दिया गया राजस्थान काश्तारी राजकीय नियम 1955 के नियम 69 जो कि आज्ञापक है के प्रावधानों के विपरीत है। पत्रावली में कब नोटिस जारी किये किस दिन तामील पक्षकार हुई कोई उल्लेख मौजूद नहीं है। रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने मूल खातेदार अथवा उसके वारिसान से भूमि क्रय की है एवं मूल खातेदार की भूमि को रास्ता पूर्व से लगता है तो इस प्रकार रेस्पोडेण्ट सं0 1 अपीलाण्ट की भूमि में से रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, जबकि रेस्पोडेण्ट सं0 1 का अन्य सह काश्तकारान के साथ भूमि सह काश्तकारी में है ऐसी स्थिति में जब साझे खाते की भूमि हेतू पूर्व से ही रास्ता मौजूद होने की सूरत में रेस्पो0 सं0 1 अपने मूल खतोदार अथवा सहखातेदार काश्तकारान से खाता विभाजन करवाकर उसी अनुसार रास्ता प्राप्त कर सकता है। अपीलाण्ट की भूमि में से रेस्पो0 सं0 1 किसी भी विधि प्रावधानों के तहत रास्ता प्राप्त नहीं कर सकता है। मूल खातेदारान के वारिसान के अन्य व्यक्तियों को भी भूमि विक्रय की है इस तरह से सभी काश्तकार ही अपीलाण्ट की भूमि में से रास्ता प्राप्त करने हेतु प्रयास करेंगे। बल्कि मूल खातेदारी की भूमि में रास्ता पूर्व से मंजूरशुदा है। रेस्पो0 सं0 1/प्रार्थीया ने तरतीबी अप्रार्थीगण से भाईचारा से ख. नं. 649/2 में से रास्ता पूर्व से चलकर अपने खसरा 644/1 में प्रवेश करने के कथन मिथ्या अंकित किये हैं। अपीलाण्ट की भूमि में से रेस्पो0 सं0 1/प्रार्थीया ने कभी आवागमन नहीं किया ना ही मौके पर अपीलाण्ट को भूमि से होकर रेस्पो0 सं0 1 अपनी भूमि में प्रवेश करता है बल्कि वह अपने मूल खातेदार व उसके वारिसान द्वारा विक्रय की गई भूमि जो सांझा खाता में है जिसमें रास्ता मंजूरशुदा है से ही आवागमन करता है एवं वही रास्ता स्वीकृत करवाने का

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अधिकारी है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेण्ट के पास अपनी भूमि में आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को नोटिस जारी किये थे लेकिन अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं आया। इनके उपस्थित नहीं आने पर विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश के द्वारा रास्ता स्वीकृत किया है, जो विधि सम्मत है। अपीलाण्ट ने मिथ्या तथ्यों के आधार पर यह अपील पेश की है। अपीलाण्ट को मिथ्या तथ्यों के आधार पर अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जा जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 1998 पेज 1649 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश के द्वारा रेस्पोडेण्ट की भूमि रोही मोजा मलसीसर के खसरा सं0 649/2 में चालू रास्ता से पूर्व से पश्चिम 16 फिट चौडा व 25 फिट लम्बा रास्ता स्वीकृत करने का आदेश पारित किया है। विचारण न्यायालय के समक्ष जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है उस रिपोर्ट को तैयार करने से पूर्व अपीलाट को किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं दिया गया। जबकि राजस्थान काश्तकारी राजकीय नियम 1955 के नियम 69 जो कि अज्ञापक है के प्रावधानों विपरीत तैयार रिपोर्ट के आधार पर निर्णय प्रसारित किया गया है। रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने मूल खातेदार अथवा उसके वारिसान से भूमि क्रय की है एवं मूल खातेदार की भूमि को रास्ता पूर्व से ही लगता है तो इस प्रकार रेस्पोडेण्ट सं0 1 अपीलाण्ट की भूमि में से रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है जबकि रेस्पोडेण्ट सं0 1 का अन्य सहकाश्तकारान के साथ भूमि सह काश्तकारी में है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेण्ट सं0 1 जब साझे खाते की भूमि हेतु पूर्व से ही रास्ता मौजूद होने की सूरत में रेस्पो0 सं0 1 अपने मूल खतोदार अथवा सहखातेदार कातश्कारान से खाता

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

विभजान करवाकर उसी अनुसार प्राप्त कर सकता है। अपीलाधीन निर्णय के द्वारा अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाण्ट की भूमि में रास्ता स्वीकृत किया गया है जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी भादरा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.02.2023 निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक 20.7.23 .....को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

20/7/23

(करतार सिंह पूनियॉ)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़